

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पिठासीन अधिकारी:- दिवांशु शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-64/2017 वाद
दायर दिनांक :- 21/07/2017
निर्णय दिनांक :- 26 /11/2019

अनवान

1. रतनलाल पिता गणेश गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा(फौत होने से)
- 1/1. अण्छी देवी पति रतनलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/2. शारदा पिता रतनलाल गाडरी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/3. टीना पिता रतनलाल गाडरी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/4. नारायणलाल पिता रतनलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम


1. चांदी पत्नि स्व. हजारीलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
2. लक्ष्मण पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
3. शंकरलाल पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
4. जमना पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
5. संतोषी पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
6. गोदावरी पति जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
7. भागुदेवी पति प्यारचंद गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
8. गणेश पिता कालु गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::


वादिया ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का सकरावास के आराजी नम्बर 128, 130 कुल किता 02 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमियां वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त अधिपत्य की स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादिया ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीया का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	अण्छीदेवी पति स्व. रतनलाल, शारदा, टीना, नारायणलाल पिता रतनलाल ना.बा.व वि माता अण्छी देवी पति स्व. रतनलाल गाडरी सा. सकरावास खातेदार	128/1 130/1	00.13 01.07.10	00.33 00.68
	योग :-	किता-02	02.00.10	01.01
2	भैरूलाल पिता घासी 1/3 गणेश पिता कालु लक्ष्मण, शंकरलाल, जमना, संतोकि पिता जयराम गोदावरी पति स्व. जयराम 2/3 गाडरी सा.सकरावास खातेदार हि. ब.	128 मीन	02.00	00.99
	योग :-	किता-01	02.00	00.99
3	भागुदेवी पति प्यारचंद 1/3 कुमावत गुणेश पिता कालु लक्ष्मण, शंकरलाल, जमना, संतोकि पिता जयराम गोदावरी पति स्व. जयराम 2/3 गाडरी सा.सकरावास खातेदार हि. ब.	130 मीन 130 /2	2.14.05 01.07.05	01.36 00.68
	योग :-	किता-02	04.01.10	02.04

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


 (दिवांशु शर्मा)
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 (उपखण्ड अधिकारी)
 रेलमगाव

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- दिवांशु शर्मा आर०ए०ए०ए०
राजस्व वाद संख्या :- 64/2017

अनवान

- 1 रतनलाल पिता गणेश गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा(फौत होने से)
- 1/1. अणछी देवी पति रतनलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/2. शारदा पिता रतनलाल गाडरी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/3. टीना पिता रतनलाल गाडरी सकरावास तहसील रेलमगरा
- 1/4. नारायणलाल पिता रतनलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा

वादीगण


बनाम

- 1 चांदी पत्नि स्व. हजारीलाल गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
2. लक्ष्मण पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
3. शंकरलाल पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
4. जमना पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
5. संतोषी पिता जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
6. गोदावरी पति जयराम गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
7. भागुदेवी पति प्यारचंद गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
8. गणेश पिता कालु गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

दावा :- बाबत् विभाजन
वादी की ओर से अधिवक्ता, विष्णु यादव
प्रतिवादी की ओर से :-

में इस आशय मे दिनांक 26.11.2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का सकरावास के आराजी नम्बर 128, 130 कुल कित्ता 02 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमियां वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त अधिपत्य की स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा


जिस पर अधिवक्ता वादिया ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीया का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	अण्ठीदेवी पति स्व. रतनलाल, शारदा, टीना, नारायणलाल पिता रतनलाल ना.बा. व विमाता अण्ठी देवी पति स्व. रतनलाल गाडरी सा. सकरावास खातेदार	128/1 130/1	00.13 01.07.10	00.33 00.68
	योग :-	किता-02	02.00.10	01.01
2	भैरूलाल पिता घासी 1/3 गणेश पिता कालु लक्ष्मण, शंकरलाल, जमना, संतोकि पिता जयराम गोदावरी पति स्व. जयराम 2/3 गाडरी सा.सकरावास खातेदार हि. ब.	128 मीन	02.00	00.99
	योग :-	किता-01	02.00	00.99
3	भागुदेवी पति प्यारचंद 1/13 कुमावत गुणेश पिता कालु लक्ष्मण, शंकरलाल, जमना, संतोकि पिता जयराम गोदावरी पति स्व. जयराम 2/3 गाडरी सा.सकरावास खातेदार हि. ब.	130 मीन 130 /2	02.14.05 01.07.05	01.36 00.68
	योग :-	किता-02	04.01.10	02.04

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 26 / 11 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।




 (दिवान्शु शर्मा)
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 रायगढ़ न्यायालय
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रायगढ़